(राजस्थान—सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 35 / 2024

रजिस्ट्रेशन सं0 :— 2024 / 187

बउनवान

1. हरिशंकर मेहरा आयु 42वर्ष पुत्र श्री जगदीशप्रसाद मेहर निवासी गुलखेडी तह. छीपाबड़ौद जिला बारॉ
2. भवानीसिंह आयु 32वर्ष पुत्र श्री जगदीशप्रसाद मेहर निवासी गुलखेडी तह. छीपाबड़ौद जिला बारॉ
3. अर्जुन आयु 30वर्ष पुत्र श्री जगदीशप्रसाद मेहर निवासी गुलखेडी तह. छीपाबड़ौद जिला बारॉ

(अपीलांटगण)

बनाम

1. तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
2. गायत्री पत्नी स्व. जगदीशप्रसाद मेहर निवासी गुलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
3. सरिताबाई पुत्री जगदीशप्रसाद मेहर निवासी गुलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
4. कैलाशीबाई पुत्री प्रभू मेहर निवासी गुलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
5. गंगाबाई पुत्री प्रभू मेहर निवासी गुलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
6. चंद्रीबाई पुत्री प्रभू मेहर निवासी गुलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्व तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल संख्या 451 दिनांक 24.01.1996 वाके ग्राम गुलखेड़ी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :— 1— श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांटगण)
2— पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 1)
3— अनुपस्थित (रेस्पो. क्रम 2 ता 6)

निर्णय दिनांक 22.01.2025

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल संख्या 451 दिनांक 24.01.1996 वाके ग्राम गुलखेड़ी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 02.12.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 01 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। रेस्पो. क्रम 02 ता 06 बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। प्रकरण मे सर्वप्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र धारा 5 पर बहस सुनी गई और उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रकरण मे अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर अपीलांटगण के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:18 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौरान बहस कहा गया कि आराजी खसरा नंबर 312 रकबा 0.0809 हेक्टर, खसरा नंबर 52 रकबा 0.[illegible]34 हेक्टर, खसरा नंबर [illegible] रकबा 1.1331 हेक्टर किता 3 रकबा 2.1124 हेक्टर मौजा गुलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां में स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में अपीलांटगण के दादा श्री प्रभू पुत्र मोडू जाति मेहर निवासी गुलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां के खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांटगण के दादा का स्वर्गवास होने पर उनका फौती इंतकाल संख्या 451 ग्राम गुलखेडी रेस्पो. क्रम 01 द्वारा निर्णित किया गया है।

अपीलांटगण के दादा श्री प्रभू की वंशावली निम्न प्रकार है —

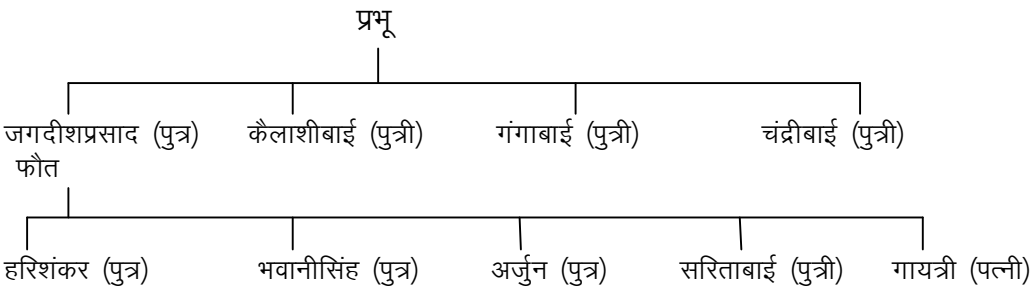

रेस्पो. क्रम 01 द्वारा बिना किसी जांच के व बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये हीं मनमाने तौर पर निर्णित कर दिया जबकि अपीलांट के पिता जगदीशप्रसाद, मृतक श्री प्रभू के पुत्र थे जिनका स्वर्गवास खातेदार प्रभू के जीवनकाल में हीं हो गया था तथा जगदीशप्रसाद के तीन पुत्र अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 03 पुत्री व रेस्पो. क्रम 02 पत्नी है तथा रेस्पो. क्रम 04 ता 06 मृतक खातेदार प्रभू की पुत्रियां है लेकिन इंतकाल निर्णित करते समय अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 02 ता 06 सभी को मृतक खातेदार प्रभू के पुत्र—पुत्रियां व बेवा दर्ज कर दिया है।

अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 03 के पिता व रेस्पो. क्रम 02 के पति का नाम जगदीशप्रसाद है लेकिन उक्त इंतकाल में अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 02 व 03 को मृतक खातेदार प्रभू के पुत्र, पुत्री व बेवा दर्ज कर दिया इसलिये उक्त इंतकाल संख्या 451 निरस्त करने योग्य है। अपीलांट क्रम 01 का नाम हरिशंकर है लेकिन इंतकाल संख्या 451 में अपीलांट क्रम 01 का नाम हरिशचंद दर्ज कर दिया। इसी तरह रेस्पो. क्रम 03 का नाम सरिताबाई है लेकिन इंतकाल संख्या 451 में सुशीला दर्ज कर दिया गया।

रेस्पो. क्रम 04 ता 06 का उक्त आराजियात में 3/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जिसे 3/8 कर दिया। इसी प्रकार अपीलांट व रेस्पो. क्रम 02 व 03 का हिस्सा 1/8—1/8 दर्ज कर दिया। रेस्पो. क्रम 01 द्वारा मनमाने तौर पर इंतकाल निर्णित कर दिया है जिससे अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 02 ता 06 के हिस्से गलत दर्ज कर दिया है तथा अपीलांट क्रम 01 व रेस्पो. क्रम 03 का नाम भी गलत दर्ज कर दिया है।

उक्त इंतकाल संख्या 451 का सर्वप्रथम ज्ञान अपीलांटगण को दिनांक 13.11.2024 को हुआ जब अपीलांटगण द्वारा जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई कि अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 02 ता 06 के हिस्से गलत दर्ज कर दिये। अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 02 व 03 की वल्दियत गलत दर्ज कर दी तथा अपीलांट क्रम 01 व रेस्पो. क्रम 03 का नाम गलत दर्ज कर दिया। इंतकाल के निर्णय की तिथि से जानकारी की तिथि को कंडोन फरमाया जाकर उक्त अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमाई जावे तथा अपील की प्रस्तुति में एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट भी पेश है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल संख्या 451 को [illegible] 01 के नाम आदेश फरमाया जावे कि वह अपील में वर्णित आराजियात का मृतक [illegible] का फौती इंतकाल मुताबिक सजरे के अनुसार निर्णित करने का आदेश [illegible] कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय [illegible]सीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल संख्या 451 दिनांक 24.01.1996 वाके ग्राम गुलखेड़ी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां से अप्रसन्न होकर अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। उक्त इन्तकाल तस्दीक करते समय उक्त आराजी पूर्व में अपीलांटगण के दादा श्री प्रभू पुत्र मोडू जाति मेहर निवासी गुलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां के खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांटगण के दादा का स्वर्गवास होने पर उनका फौती इंतकाल संख्या 451 ग्राम गुलखेडी रेस्पो. क्रम 01 द्वारा निर्णित किया गया है।

रेस्पो. क्रम 01 द्वारा बिना किसी जांच के व बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये हीं मनमाने तौर पर निर्णित कर दिया जबकि अपीलांट के पिता जगदीशप्रसाद, मृतक श्री प्रभू के पुत्र थे जिनका स्वर्गवास खातेदार प्रभू के जीवनकाल में हीं हो गया था तथा जगदीशप्रसाद के तीन पुत्र अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 03 पुत्री व रेस्पो. क्रम 02 पत्नी है तथा रेस्पो. क्रम 04 ता 06 मृतक खातेदार प्रभू की पुत्रियां है लेकिन इंतकाल निर्णित करते समय अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 02 ता 06 सभी को मृतक खातेदार प्रभू के पुत्र–पुत्रियां व बेवा दर्ज कर दिया है।

अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 03 के पिता व रेस्पो. क्रम 02 के पति का नाम जगदीशप्रसाद है लेकिन उक्त इंतकाल में अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 02 व 03 को मृतक खातेदार प्रभू के पुत्र, पुत्री व बेवा दर्ज कर दिया। अपीलांट क्रम 01 का नाम हरिशंकर के स्थान पर हरिशचंद दर्ज कर दिया। इसी तरह रेस्पो. क्रम 03 का नाम सरिताबाई के स्थान पर सुशीला दर्ज कर दिया गया।

उक्तानुसार प्रकरण में विवेचन पश्चात् अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 451 दिनांक 24.01.1996 वाके ग्राम गुलखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद को इस आदेश के साथ रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में खातेदार प्रभू एवं जगदीशप्रसाद की मृत्यु की तस्दीक कर उसके समस्त विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से की जाकर, विधिक प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार इंतकाल तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **22.01.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:30:18 IST
Reason: SelfAttested